



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072024-255482
CG-DL-E-17072024-255482

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946

No. 372]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

आर.बी./स्था. सं. 56/2024

सा.का.नि.409(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (अनुशासन और अपील) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 हैं।
- ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968, में, नियम 9 के उप नियम 13 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“13 (क) रेल सेवक अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी भी अन्य रेल सेवक (जिसमें सेवा निवृत्ति की तैयारी पर छुट्टी पर रेल सेवक शामिल है) की सहायता ले सकेगा जो उसी रेलवे प्रशासन में कार्य कर रहा हो जिसके अधिकार क्षेत्र तथा नियंत्रण के अधीन वह कार्य कर रहा है या उस रेलवे प्रशासन में कार्य कर रहा हो जिसके अधिकार क्षेत्र में जाँच चल रही है, लेकिन वह किसी विधि व्यवसायी को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त नहीं कर सकता जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया उपस्थापन अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो अथवा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसी अनुमति दे।

परंतु रेल सेवक किसी भी अन्य रेलवे प्रशासन के अधीन तैनात किसी अन्य रेल सेवक की सहायता ले सकेगा, यदि जांच प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और लिखित कारण बता कर, ऐसी अनुमति देता है:

परंतु यह और कि यदि जांच प्राधिकारी किसी अन्य रेल प्रशासन से सहायक रेल सेवक लेने के रेल सेवक के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो उसे लिखित रूप में कारण दर्ज करना होगा और इसकी सूचना रेल सेवक को देनी होगी जिससे वह रेल सेवक इस आदेश के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी को अभ्यावेदन दे सके, यदि वह ऐसी इच्छा रखता है।”

[सं. ई(डी एंड ए) 2019 आरजी6-1]

सुनील कुमार, कार्यकारी निदेशक/स्थापना

टिप्पण :- मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 3181 तारीख 14 सितंबर, 1968 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 286 (अ), तारीख 22 मई 2024 द्वारा संशोधित किये गये।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2024

R.B./Estt. No. 56/2024

G.S.R. 409 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, namely:-

1. Short title and commencement:—

- (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) (Second Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, in rule 9, in sub-rule 13, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

“13(a) The Railway Servant may take the assistance of any other Railway Servant (including a Railway Servant on leave preparatory to retirement) working under the same Railway Administration, subject to whose jurisdiction and control he is working or working under the jurisdiction of the Railway Administration where the inquiry is held, to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer appointed by the Disciplinary Authority is a legal practitioner, or, the Disciplinary Authority, having regard to the circumstances of the case, so permits;

Provided that the Railway Servant may take the assistance of any other Railway Servant posted under any other Railway Administration, if the Inquiring Authority having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing, so permits:

Provided further that if the Inquiring Authority rejects the request of the Railway Servant to take an assisting Railway Servant from any Railway Administration, it would record reasons in writing and communicate the same to the Railway Servant to enable him to make representation against the order, if he so desires, to the Disciplinary Authority.”

[No. (E(D&A) 2019 RG6-1]

SUNIL KUMAR, Executive Director/Establishment

Note:- Principal rules were published vide notification number S.O. 3181, dated the 14th September, 1968 and was last amended *vide* numbers G.S.R. 286 (E), dated the 22nd May, 2024.